संख्या:155/2022/521/35-4-2022/001-35/4099/40/2022

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 07 जून, 2022

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य की लागत के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-आगरा में शासनादेश संख्या-01/2021/01/35-4-2021 दिनांक 04 जनवरी,2021 द्वारा विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के तहसील किरावली के अछनेरा ब्लाक के ग्राम अमेदोपुर में राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य की रू. 1200.75 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 300.18 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-249/2021/2031/35-4-2021 दिनांक 24 नवम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 300.18 लाख अवमुक्त की गयी। जिलाधिकारी, आगरा के पत्र सं0-744/अर्थ एवं संख्या/त्व0आ0वि0/2020-21, दिनांक 31 मार्च, 2022 द्वारा उक्त राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य में मिट्टी भराई की लागत को सम्मिलित करते हुये पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया गया। एतद्द्वारा उक्त राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य की मूल अनुमोदित लागत रू. 1200.75 लाख में मिट्टी भराई की अनुमोदित लागत को सम्मिलित करते हुये कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को रू. 1231.87 लाख पर पुनरीक्षित किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04 जनवरी, 2021 एवं दिनांक 24 नवम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
(2) प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 04 जनवरी, 2021 द्वारा कार्य की अनुमोदित लागत में मिट्टी भराई हेतु 05.00 लाख की धनराशि अनुमन्य है। इस समय शेष मिट्टी भराई कार्य हेतु रू. 31.12 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। इस प्रकार भवन निर्माण कार्य में मिट्टी भराई कार्य हेतु कुल रू. 36.12 लाख की धनराशि अनुमन्य हो जाती है।
(3) जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
(4) परियोजना का निर्माण निर्धारित समयावधि में अनुमोदित लागत में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का कोई और पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।
(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(6) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चत की जायेगी।
(7) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगी, कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।
(8) नियमानुसार समस्त आवश्यक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से परियोजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
(9) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जायेगा।
(10) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनाक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार दो-दो माह की धनराशि निर्गत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा। परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कॉस्ट ओवर रन न हो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (7) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी की जायेगी।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनाक 30 दिसम्बर, 2021 एवं 29 मार्च, 2022 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-22/दस/2022-2023 दिनांक 06 जून, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:155/2022/521(1)/35-4-2022/35/4099/40/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आगरा।
8- निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in